संचिका संख्या-1/विविध-126/2005-354(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य (चि. शि. एवं देशी चिकित्सा) विभाग

संकल्प

विषय- स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के संबंध में नीति निर्धारण।

स्वास्थ्य सुविधाओं को आमलोगों तक सही ढंग से पहुँचाने के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत निजी क्षेत्रों की सहभागिता के लिए निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं।

(क) मेडिकल कॉलेज की स्थापना।

(ख) सुपर स्पेशिलियटी अस्पताल की स्थापना।

(ग) स्वास्थ्य सुविधा, पहुँचाने के उद्देश्य से तकनीकी सुविधाओं यथा-पैथोलॉजी जाँच, एक्स-रे आदि को निजी क्षेत्र में सौंपना जिसके अंतर्गत बड़ी मशीन/उपकरणों का अधिष्ठापन भी शामिल हो।

(2) मेडिकल कॉलेज की स्थापना :

जहां तक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रश्न है इसके संबंध में प्रोत्साहन नीति अलग से उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित है (संकल्प संख्या-129 दिनांक 16.01-06)।

(3) सुपर सपेशिलियटी अस्पताल की स्थापना :

सुपर स्पेशिलियटी अस्पताल खोलने के लिए निम्नांकित स्थल/अस्पताल उपलब्ध हैं या उपलब्ध कराया जा सकता है:-

(क) जयप्रभा अस्पताल के परिसर में खाली लगभग 7.5 एकड़ जमीन।

(ख) चार सौ शय्या वाला गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी।

(ग) पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दरभंगा/श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/अनुग्रह नारायण मगध कॉलेज एवं अस्पताल, गया/जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भागलपुर एवं इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के परिसार में उपलब्ध रिक्त जमीन (किसी विशिष्ट उद्देश्य के अस्पताल के लिए)।

(घ) आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/तिब्बी एवं यूनानी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना तथा आर.बी.टी.एस. होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के परिसर में उपलब्ध रिक्त जमीन (किसी विशिष्ट उद्देश्य के अस्पताल के लिए)।

(च) उपरोक्त अस्पतालों के निर्मित भवन के अंश कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए चिन्हित हो सकते हैं।

(छ) जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित कतिपय अस्पतालों को निजी क्षेत्रों को भी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिये जा सकते हैं।

उपरोक्त स्थलों/अस्पतालों में अत्याधुनिक/सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

मात्र भू-खंड अथवा निर्मित भवन का अंश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य सारे निदेश निजी क्षेत्र द्वारा किये जायेंगे। सरकार भू-खंड/खाली जगह लीज के आधार पर अधिकतम 30 वर्षों के लिए या बाजार दर पर उपलब्ध करायेगी। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। ऐसी कर्णांकित व्यवस्था के लिए विभाग पहले से ही इच्छुक निवेशकों से खुले विचार-विमर्श (प्री-बिड कॉन्फ्रेंस) के माध्यम से प्रस्ताव की शर्तें तैयार करेगा। इन शर्तों से रोगी से चार्ज लेने की नीति, सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था आदि स्पष्ट निर्धारित की जाएगी। यह भी स्पष्ट रहेगा कि यदि उनकी सेवाएँ संतोषजनक नहीं होती है तो प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह व्यवस्था समाप्त की सकेगी। सरकार द्वारा दिये गये से निवेशक का चयन किया जाएगा, जिसमें तकनीकी रूप से सक्षम तथा राज्य सरकार को उच्चतम राजस्व देने वाले को चयन किया जायेगा। प्राप्त राजस्व से सरकार रोगी कल्याण समिति के माध्यम से अपने विवेक से गरीबों के मुफ्त इलाज, शोध एवं विकास आदि के कार्यों में खर्च करेगी।

4. **स्वास्थ्य सुविधाएँ सुलभ रूप से उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभिन्न अस्पतालों में तकनीकी सुविधाएँ यथा-पैथोलॉजिकल जाँच/एक्स-रे आदि की निजी क्षेत्रों में स्थापना एवं बड़ी मशीन/उपकरणों का अधिष्ठापन के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं :-**

विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी सुविधाएँ निजी क्षेत्रों को सौंपे जाने के उद्देश्य से मशीन/उपकरणों की स्थापना हेतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्रों द्वारा अधिष्ठापित मशीन उपकरण वे अपने तकनीशियनों एवं चिकित्सकों के माध्यम से चलाएँगे। इसके अंतर्गत निम्नांकित व्यवस्था की जाएगी :-

(1) चयनित सुविधाओं का यूजर चार्जेज सरकार खुद तय करेंगी जो सामान्यतया बाजार दर से कम होगी। उस हालात में राजस्व की भागीदारी नहीं होगी।

या

(2) दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि ऐसी कर्णांकित व्यवस्था के लिए विभाग पहले से ही इच्छुक निवेशकों से खुले विचार-विमर्श (प्री-बिड कॉन्फ्रेंस) के माध्यम से प्रस्ताव की शर्तें तय करेगी। इन शर्तों के में रोगी से चार्ज लेने की नीति, सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था आदि स्पष्ट रहेगा। यह भी स्पष्ट रहेगा कि यदि उनकी सेवाएँ संतोषजनक नहीं होती है तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए यह व्यवस्था की जा सकेगी। सरकार द्वारा दिये गये उपकरणों के एवज में सिक्योरिटी मनी कभी प्रावधान किया जाए। तत्पश्चात खुली निविदा के माध्यम से निवेशक का चयन किया जाएगा जिसमें तकनीकी रूप से सक्षम तथा राज्य सरकार को उच्चतम राजस्व देने वाले को चयन किया जायेगा। तदनुसार दोनों वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ इस प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई की जाएगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी एक हजार प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(दीपक कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1/विविध-126/05-354(1) **पटना, दिनांक 8.4.06**

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालयख मुद्रणालयख गुलजारबाग प्रेस, पटना को सूचना एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि इस संकल्प की एक हजार प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह./-

सरकार के सचिव